

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या

12/46/2018

प्रवेश तिथि

08-03-2018

निर्णय दिनांक

04-01-2021

01. बदलूराम पुत्र प्रभाता जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

-अपीलांट

बनाम

01. तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर।

-रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर  
दिनांक 25.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 530/2018

उपस्थित:-

01-श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.01.2018 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1023/8.66 है0 में से 1.53 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रैस्पौ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1023/8.66 है0 में से 1.53 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 25.01.2018 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 25.01.2018 के विरुद्ध दिनांक 07.03.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 07.03.2018 को विवादित आराजी पर कब्जा हटाना बताया है तथा तहसीलदार बानसूर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04-01-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार गुप्ता)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान)